ग्राम पंचायत प्राहनवीं, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2021 से 03/2023

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत प्राहनवीं, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक के दौरान ग्राम पचांयत प्राहनवीं में निम्नलिखित प्रधान, सचिव एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत रहे हैं।

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती करिश्मा	01-04-2021 से 31-03-2023

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्रीमती अनीशा	01-04-2021 से 26-09-2022
2.	श्री खेप सिंह	26-09-2022 से 09-10-2022
3.	श्रीमती अंजना देवी	10-10-2022 से 31-03-2023

ग्राम रोजगार सेवक

क्रम संख्या	ग्राम रोजगार सेवक का नाम	अवधि
1.	श्री ओम प्रकाश	01-04-2021 से 31-03-2023

तकनीकी सहायक

क्रम संख्या	तकनीकी सहायक का नाम	अवधि
1.	श्री विनोद कुमार	01-04-2021 से 31-03-2023

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत प्राहनवीं, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है, जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	पैरा स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
01.	7.1 - 7.2	पंचायत राजस्व गृहकर एवं विवाह पंजीकरण शुल्क इत्यादि का वसूली/जमा न किये जाने बारे।	₹0.94
02.	8.2	बिना M फॉर्म के क्रय करने से सरकारी राजकोष को रॉयल्टी के तौर पर राजस्व की वित्तीय की हानि बारे।	₹1.04
03.	8.3	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) की सम्भावित वित्तीय हानि।	₹0.49
04.	8.5	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।	₹32
05.	9.2	सभा निधि (स्व:-स्त्रोत) से अनियमित व्यय करने बारे।	₹0.12
06.	9.3	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP) के अंतर्गत पोल्ट्री फार्म हेतु लाभार्थी शेयर की अपेक्षित कटौती किये बिना राशि का अनियमित वितरण।	₹0.60
07.	9.4	मस्ट्रोलों के व्यय/भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।	₹4.28

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत प्राहनवीं, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार कनिष्ट लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15-02-2024 से 28-02-2024 तक ग्राम पंचायत प्राहनवीं के कार्यालय में किया गया। वर्तमान

निधि लेखाओं की विस्तृत ज़ांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**आय चयनित माह**	**व्यय चयनित माह**
1.	2021-2022	04/2021	08/2021
2.	2022-2023	08/2022	05/2022

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत प्राहनवीं, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/70 दिनांक 28-02-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत प्राहनवीं द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 (क) स्व:-स्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत प्राहनवीं के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक स्व:-स्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:

1. स्व:-स्लोत (3RD State FC)

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2021-22	565831.13	350156	915987.13	257676	658311.13
2022-23	658311.13	516849.9	1175161.03	452227.9	722933.13

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2021-22	1281345.58	7171548	8452893.58	6619800	1833093.58
2022-23	1833093.58	6585822.52	8418916.1	6878752.18	1540163.92

नोट: उपरोक्त स्व:-स्रोत के अंतर्गत अन्य अनुदान जैसे 3rd स्टेट का पंचायत द्वारा एक बैंक खाता व एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। (कृपया पूर्ण विवरण पैरा संख्या 10.4 पर देखें) जिससे कि उक्त स्व:-स्रोत की वास्तविक राशि को पृथक तौर पर नहीं दर्शाया जा सकता है।

कुल योग (1 + 2) = ₹722933.13 + ₹1540163.92 = ₹2263097.05

(ख) ग्राम पचांयत प्राहनवीं, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31/03/2023 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्र० सं०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि (₹) 31-03-2023
1.	15वां वित्तायोग	99051100000144	HPGB Pukhri	**1302114**
2.	14वां वित्तायोग	99050100009265	HPGB Pukhri	**2423.22**
3.	SBM	99050100014348	HPGB Pukhri	**00**
4.	IWMP-13TH	501000654569810	HDFC CHAMBA	**00**
5.	IWMP-IV	99058100040269	HPGB Pukhri	**00**
6.	Sabha Nidhi/ 3rd State	17910107022	HPSCB Chamba	**832224.40**
			Cash in hand	**00**
			TOTAL	**₹2136761.62**

अन्तर (क-ख) ₹2263097.05 - ₹2136761.62 = ₹126335.43

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1.26 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत प्राहनवीं द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि

के अंत में दिनांक 31-03-2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹126335.43 का अन्तर बैंक पास बुक में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-67 दिनाँक 27-02-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5.2 अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **<u>नियम 11</u>** के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा स्व:-स्रोत में उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधि (स्व:-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 67 दिनांक 27-02-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹15.40 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹1540164 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का

अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-67 दिनाँक 27-02-2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत प्राहनवीं के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे:-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि, पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान कि/कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 67 दिनांक 27-02-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अत: उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.89 लाख की वसूली न करने बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत प्राहनवीं के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया

बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित ₹89180/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

वितीय वर्ष	**अथशेष**	**पंजीकृत परिवारों की संख्या**	**दर प्रति /परिवार**	**वर्ष के दौरान माँग**	**कुल योग (₹)**	**वर्ष के दौरान वसूली**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2021-22	63300	630	20	12600	75900	0.00	75900
2022-23	75900	664	20	13280	89180	0.00	89180

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 69 दिनांक 28-02-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्नविवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹4675/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL/Rate		राशि	BPL/Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without late fee	With Late Fee		Without late fee	With Late Fee		
2021-22	15	09@200	-	1800	6@25	-	150	1950
2022-23	17	13@200	-	2600	4@25	1@25	125	2725
कुल योग	32	22@200	-	₹4400	10@25	1@25	**₹275**	**₹4675**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-69 दिनांक 28-02-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त उसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा।

अतः उपरोक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत प्राहनवीं के जाँच के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 67 दिनाँक 27-02-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना M-फॉर्म के अनुचित क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर पर राशि ₹1.04 लाख के राजस्व की वित्तीय हानि।

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म प्राप्त कर सम्बन्धित पंचायत को देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग चंबा के पत्र संख्या 902 दिनाँक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खण्ड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गए थे।

परन्तु ग्राम पंचायत प्राहनवीं, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के अभिलेखों के नमूना जाँच एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म लिए बिना ही रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति ली गई है। जिससे कि, न केवल अवैध खनन हुआ अपितु अनाधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से क्रय करने के कारण सरकार को राशि ₹104140/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) की रॉयल्टी की वित्तीय हानि भी हुई है। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग के पत्र संख्या Ind-II(F)6-14/2014-Vol-1 दिनाँक 10-02-2022 के अंतर्गत नियम 81A की प्रविष्टि के तहत खनन पट्टा धारक न होने की स्थिति में रॉयल्टी की राशि का 25% जुर्माना का भुगतान भी करना होगा।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/61 दिनाँक 26-02-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती सम्बन्धित संविदाकारों से करके एवं उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में M-फार्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समयबन्ध सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: इस अनियमितता

को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.49 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत प्राहनवीं के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की खरीद गई थी एवं पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹1255854/- भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) किया गया था परन्तु उक्त आपूर्तिकर्ताओं के GST संख्या के अवलोकन में पाया गया कि उक्त फर्में रेत, बजरी एवं पत्थर के व्यवसाय हेतु अधिकृत नहीं है। लेकिन उक्त फर्मों द्वारा न केवल उक्त सामान की आपूर्ति की गई अपितु इनसे वस्तु एवं सेवा कर की कटौती भी की गई है एवं यह बिल प्रापर/कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल परफोर्मा बिल है जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक उचित टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹49368/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है। (Key Documents Raugh Sheets P-27-31,36)

उक्त गम्भीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 60 दिनांक 26-02-2024 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित कि, उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंचायत से सामग्रियों पर GST ले लिया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं इस मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से शीघ्र ही लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षा विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये। यह गंभीर

प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹6388 की वित्तीय हानि बारे।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार यदि कार्य को करने पर किसी ठेकेदार को एक वित्तीय वर्ष में ₹100000/- या अधिक की अदायगी अथवा एक बार में ₹30000/- या अधिक की अदायगी की जाती है, तो भुगतानकर्ता/आहरण व संवितरण अधिकारी, ठेकेदार/संविदाकार के बिल पर आय स्रोत पर कर (TDS) व्यक्ति की दशा में 1% तथा फर्म की दशा में 2% आयकर की कटौती करेगा तथा की गई कटौती को सरकारी कोष में जमा करवाएगा। आय स्रोत पर की गई कटौती की राशि को आयकर विभाग के '**प्राप्ति शीर्ष**' में निर्धारित समयावधि में जमा किया जाना आवश्यक है अन्यथा दण्डात्मक ब्याज के प्रावधान लागू होंगे।

ग्राम पंचायत प्राहनवीं के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार राशि ₹319400/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि न केवल आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना है अपितु इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹6388/- (2%) की वित्तीय हानि हुई है।

क्रम/ अनुदान	**वाउचर / वर्ष**	**सामग्री**	**आपूर्तिकर्ता**	**भुगतान की गई राशि**	**TDS% 2 @**
1.15th FC	02 & 03/ 19-03-22	JCB Work	M/S Pradeep Kumar VPO Chandi, Chamba	93600	1872
2.15th FC	01/ 16-04-22	JCB Work	M/S Pradeep Kumar VPO Chandi, Chamba	46800	936
3.15th FC	04/ 25-04-22	JCB Work	M/S Pradeep Kumar VPO Chandi, Chamba	49000	980
4.15th FC	13/ 17-03-23	JCB Work	M/S Pradeep Kumar VPO Chandi, Chamba	130000	2600
			कुल योग	**₹319400**	**₹6388**

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 64 दिनाँक 26-02-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित संविदाकारों से करने एवं उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में नियमित तौर पर कटौती की जायेगी।

अत: पंचायत द्वारा टी.डी.एस की कटौती न करना, न केवल आयकर अधिनियम की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी हानि है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल नमूना/चयनित माहों के ही भुगतानों को जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की विभागीय स्तर पर जाँच करके अपेक्षित टी.डी.एस.की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में टी.डी.एस. की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में निर्धारित समयावधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.5 कनिष्ठ अभियंता एवं तकनीकी स्तर पर राशि ₹32 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन एवं मापन पुस्तिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत प्राहनवीं की जाँच के दौरान कनिष्ठ अभियंता एवं तकनीकी स्तर पर निम्न विवरणानुसार करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका, उपियोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्रम संख्या/ अनुदान	कार्य विवरण	स्वीकृत राशि (₹)	टिप्पणी
IWMP.1 20212-2	कार्य: कच्चा तालाब डिमरी खोल	100000	MB,UC, Estimate Work Order and Technical sanction order etc.
IWMP.2	कार्य : नाला उपचार टाटरू	600000	do

20212-2			
3. IWMP 2022-23	कार्य: नाला उपचार सेरी	1000000	do
4. IWMP 2022-23	कार्य: नाला उपचार मोहड़ी	900000	Do
th FC5.15 23-2022	कार्य: ड्रेन वर्क सलाह	100000	Do
.6MGREGA	कार्य: प्रोटेक्शन वर्क वाडा 2nd	500000	Do
	कुल योग	**₹3200000**	

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-68 दिनाँक 27-02-2024 द्वारा पंचायत सचिव को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त कार्यों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख कनिष्ट अभियंता के पास विकास खंड में पड़े हुए है यह पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिससे कि इन्हें अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹1.74 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत प्राहनवीं द्वारा राशि ₹173631/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है।) जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-62 दिनाँक 26-02-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर

तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अतः इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बधित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 सभा निधि (स्वः-स्त्रोत) से राशि ₹0.12 लाख का अनियमित व्यय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखें,सम्परीक्षा,संकर्म,कराधान एवं भते) नियम 2002 के **नियम 8(1)** के अनुसार बजट उपबंधों के अधीन समनुदेशित कर्तव्यों और कृत्यों के अनुपालन के लिये खाता- क से ग्राम पंचायत द्वारा उपगत व्यय, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करने उपरान्त ग्राम पंचायत निधि पर विधि मान्य प्रभार होगा।

परन्तु ग्राम पंचायत प्राहनवीं के नमूना जाँच में पाया गया कि, पंचायत द्वारा तिरंगा झंडों के क्रय हेतु राशि ₹11800 (472@25) का भुगतान जिला पंचायत अधिकारी को सभा निधि में से किया गया जबकि नियमानुसार यह भुगतान वितरित झंडों से एकत्रित राशि में से किया जाना अपेक्षित था। जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है, अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-62 दिनाँक 26-02-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

अतः किये गए उक्त व्यय से सम्बन्धित आवश्यक कार्रवाई करके व सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर उक्त व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सभा निधि में शीघ्र जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं भविष्य में इस प्रकार के गलती के पुनरावृत्ति न हो इसका भी ध्यान रखा जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP) के अंतर्गत पोल्ट्री फार्म हेतु लाभार्थी शेयर की अपेक्षित कटौती किये बिना राशि का अनियमित वितरण करने बारे।

एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP) के तहत कार्यालय विकास खण्ड अधिकारी चंबा के स्वीकृती पत्र संख्या DRDA/CBA/PMKSY-Fund-1296 दिनांक 13-07-2020 के द्वारा राशि ₹60000 का वितरण मुर्गीपालन व्यवसाय हेतु इसमें निहित शर्तों के अंतर्गत सामान्य श्रेणी एवं

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों से आवशयक तौर पर क्रमशः 20% एवं 10% की दर से शेयर की कटौती करने उपरान्त WDF खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत प्राहनवीं के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा मुर्गीपालन व्यवसाय हेतु SC/ST के छ: लाभार्थियों को ₹10000 प्रति लाभार्थी की दर से कुल ₹60000 का भुगतान किया गया। परन्तु लाभार्थियों से उक्त नियमानुसार अपेक्षित शेयर राशि ₹6000 (60000@10%) की कटौती के बिना ही वितरण किया गया जोकि उक्त आदेश की स्पष्ट अवहेलना है। (Key Documents Raugh Sheets P-20)

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-65 दिनाँक 26-02-2024 द्वारा उक्त गंभीर प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, इसमें से किसी भी राशि की कोई भी कटौती नहीं की गई है तथा इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: पंचायत द्वारा लाभार्थियों से अपेक्षित शेयर की कटौती किये बिना भुगतान करना न केवल उक्त आदेश की स्पष्ट अवहेलना है, परन्तु लाभार्थियों को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी हानि हुई है। यह गंभीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर पर लाया जाता है चूंकि अंकेक्षण के दौरान केवल चयनित माहों के ही भुगतानों को जांचा गया है, अत: उक्त राशि एवं शेष अवधि में हुए ऐसे प्रकरणों की विभागीय स्तर पर गहन जाँच करके अपेक्षित शेयर को Watershed Development Fund खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.4 राशि ₹4.28 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अत्तिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी। ग्राम पंचायत प्राहनवीं के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार कुल राशि ₹428430/- का व्यय किया गया। (Key Documents Raugh Sheets P-32-38) जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. मस्टरोल पर सतर्कता समिति के हस्ताक्षर न करवाने बारे।

2. प्रधान एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान करने बारे।

3. मस्टरोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

4. मस्टरोल में अन्य विवरण जैसे: प्रस्ताव संख्या, दिनाँक, कार्य का नाम, कार्य शुरू करने एवं समाप्ति की तिथि इत्यादि का विवरण अपूर्ण पाया गया।

क्र०स०/ अनुदान	निर्माण कार्य	मस्ट्रोल संख्या	वाउचर/ दिनांक	राशि (₹)
IWMP.1 20212-2	कार्य: कच्चा तालाब डिमरी खोल	39430	54/ 09-11-2021	19800
IWMP.2 20212-2	कार्य : नाला उपचार टाटरू	39437	55/ 09-11-2021	31500
3.IWMP 20212-2	कार्य : नाला उपचार सेरी नाला	39438/ 39440	63 & 64/ 25-11-2021	94500
4.IWMP 2022-23	कार्य : नाला उपचार मोहड़ी	6521	08/ 10-08-2022	82380
5. IWMP 2022-23	कार्य : नाला उपचार टाटरू	6512/ 6514	09 & 10/ 10-08-2022	129900
6.15th FC 2021-22	कार्य: ड्रेन वर्क सलाह	6536	23/ 24-08-2022	70350
			कुल योग	**₹428430**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 63 दिनांक 26-02-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत प्राहनवीं के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया था। रोकड़ बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए है और न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से

किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-67 दिनांक 27-02-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।

ग्राम पंचायत प्राहनवीं के नमूना अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि पंचायत के उक्त लेखा खातों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-67 दिनाँक 27-02-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 इंदिरा आवास की रोकड़ बही एवं बैंकपास बुक को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखें,संपरीक्षण,संकर्म,कराधान व भते) नियमावली 2002 के नियम **6(1)** के अनुसार पंचायत सचिव का यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि, सभी भुगतानों व प्राप्तियों के उचित, पूर्णत: व सुस्पष्ट लेखें बनाए जो यदि ताकि राज्य सरकार अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षित हो, को तथ्यों का विश्वसनीय व संतोषप्रद साक्ष्य प्रस्तुत करें।

ग्राम पंचायत प्राहनवीं के नमूना अंकेक्षण के दौरान बार-बार आग्रह करने उपरान्त भी पंचायत द्वारा इंदिरा आवास योजना की रो कड़बही एवं बैंक पासबुक को अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि उक्त अनुदान में अंकेक्षण अवधि में हुए कुल प्राप्ति एवं भुगतानों को न तो सत्यापित किया जा सका और न ही इनका विवरण मासिक एवं वार्षिक विवरण में दिया गया। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनिधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 66 दिनाँक 26-02-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, उक्त योजना की रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक उन्हें सौपी नहीं गई जिस कारण से यह अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। किसी अनुदान की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक का पंचायत में उपलब्ध न होना अनियमित एवं आपत्तिजनक है अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को यथा शीघ्र अवगत करवाया जाये।

10.4 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वितीय वर्ष 2021-22 से 2022-23 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे 3rd/5th स्टेट का एक बैंक खाते एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 67 दिनांक 27-02-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व:-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.5 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में राशि ₹2.75 के अन्तर बारे।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेयर में बनाये गए थे वे हस्तगत रोकड़ बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते। दिनांक 31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेयर व हस्तगत लेखों में निम्न विवरणानुसार राशि ₹274805.92 का अन्तर पाया गया।

31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेयर व हस्तगत संधारित लेखों (रोकड़ बही) में अन्तशेष

31-03-2023 को PRIYA SOFT. में संधारित रोकड़बही का अन्तशेष	₹19,88,291.13
31-03-2023 को पंचायत द्वारा मेहस्तगत संधारित रोकड़बही का अन्तशेष	**₹22,63,097.05**
अन्तर	₹2,74,805.92

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि: पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं, जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 49 दिनाँक 13-02-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, ऑनलाइन एवं हस्तगत रोकड़ बही के अंतर का मिलान करके शीघ्र ही अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है। अत: दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

10.6 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया

गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-67 दिनांक 27-02-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत प्राहनवीं की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-67 दिनांक 27-02-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया

जा सकता। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. निष्कर्ष :- उक्त अनियमितताओं के द्दष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमितताएं की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के द्दष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

30 MAR 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 30.03.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

1664 – 1668

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 144/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा हि0प्र0।
5. **पंजीकृत** सचिव, ग्राम पंचायत प्राहनवीं, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

30 MAR 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 30.03.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में सन्दर्भित

Financial Position of GP Prahnavi for the Year 2021-2022 To 2022-2023

1. Own Source (3rd/5th State FC)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	565831.13	350156	915987.13	257676	658311.13
2022-23	658311.13	516849.9	1175161.03	452227.9	722933.13

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	1281345.58	7171548	8452893.58	6619800	1833093.58
2022-23	1833093.58	6585822.52	8418916.1	6878752.18	1540163.92

2263097.05

नोट: प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत प्राहनवीं, विकास खंड चम्बा में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत छ: रोकड़ बहियाँ का संधारण किया जा रहा है।

1+2 (722933.13+1540163.92= 2263097.05

		2263097.05
		2136761.62
Difference	**(Less in bank passbook**	**126335.43**

Checked

सचिव
ग्राम पंचायत प्राहनवीं
विकास खण्ड चम्बा
तह० व जिला चम्बा (हि०प्र०)

22

23

परिशिष्ट "1"

Income Statement of GP Prahnavi for the Year 2021-2022

Month	OWN SOURCE	3rd State	14th FC	MGREGA	15TH FC	SBM	IWMP	TOTAL
APRIL	**69644.00**		0.00	18612.00	241105.00	0.00	313783	**643144.00**
MAY	0.00	37323.00	0.00	119920.00	139965.00	0.00	0	**297208.00**
JUNE	0.00		5280.00	364784.00	238597.00	0.00	0	**608661.00**
JULY	0.00	83111.00	0.00	852760.00	0.00	0.00	991193	**1927064.00**
AUGUST	12133.00		0.00	37352.00	0.00	0.00	30000	**79485.00**
SEPTEMBER	9746.00		3529.00	126104.00	218200.00	0.00	0	**357579.00**
OCTOBER	0.00	48000.00	0.00	173426.00	0.00	26000.00	967166	**1214592.00**
NOVEMBER	1043.00		0.00	652347.00	0.00	0.00	0	**653390.00**
DECEMBER	4221.00		3502.00	110300.00	9571.00	52.00	0	**127646.00**
JANUARY	7254.00	48000.00	0.00	225244.00	0.00	0.00	3516	**284014.00**
FEBRUARY	29681.00		0.00	156107.00	186992.00	0.00	495572	**868352.00**
MARCH	0.00		3414.00	336984.00	120050.00	121.00	0	**460569.00**
TOTAL	**133722.00**	**216434.00**	**15725.00**	**3173940.00**	**1154480.00**	**26173.00**	**2801230.00**	**7521704.00**

Expenditure Statement of GP Prahnavi for the Year 2021-2022

Month	OWN SOURCE	3rd State	14th FC	MGREGA	15TH FC	SBM	IWMP	TOTAL
APRIL	9856.00		15367.00	18612.00	0.00	0.00	153929	**197764.00**
MAY	0.00		192150.00	119920.00	0.00	0.00	162397	**474467.00**
JUNE	0.00	16500.00	0.00	364784.00	0.00	0.00	0	**381284.00**
JULY	0.00	41306.00	0.00	852760.00	0.00	0.00	0	**894066.00**
AUGUST	**31986.00**		**0.00**	**37352.00**	**0.00**	**0.00**	**931388**	**1000726.00**
SEPTEMBER	9303.00	21000.00	0.00	126104.00	0.00	0.00	0	**156407.00**
OCTOBER	2034.00	16800.00	0.00	173426.00	0.00	0.00	434167	**626427.00**
NOVEMBER	0.00		0.00	652347.00	0.00	9720.00	198823	**860890.00**
DECEMBER	18147.00	40000.00	54092.00	110300.00	0.00	0.00	91800	**314339.00**
JANUARY	22000.00	20100.00	0.00	225244.00	0.00	0.00	0	**267344.00**
FEBRUARY	8644.00		94785.00	156107.00	186992.00	16280.00	487777	**950585.00**
MARCH	0.00		86578.00	336984.00	153000.00	0.00	176615	**753177.00**
TOTAL	**101970.00**	**155706.00**	**442972.00**	**3173940.00**	**339992.00**	**26000.00**	**2636896.00**	**6877476.00**

not

सचिव
ग्राम पंचायत प्राहनवीं
विकास खण्ड चम्बा
तह० व जिला चम्बा (हि०प्र०)

परिशिष्ट "1"

Income Statement of GP Prahnavi for the Year 2022-2023

Month	OWN SOURCE	3rd State	14th FC	MGREGA	15TH FC	SBM	IWMP	TOTAL
APRIL	10505.00	48000.00	0.00	183842.00	0	0.00	429400.00	**671747.00**
MAY	425.00		0.00	1347295.00	0	27001.00	0.00	**1374721.00**
JUNE	0.00		2363.00	62847.00	148734.00	0.00	0.00	**213944.00**
JULY	56.00		0.00	88395.00	146500.00	0.00	2038.00	**236989.00**
AUGUST	**196218.90**	59200.00	0.00	365081.00	0.00	0.00	297547.00	**918046.90**
SEPTEMBER	10908.00		1434.00	260008.00	25.00	0.00	0.00	**272375.00**
OCTOBER	31198.00		0.00	315845.00	209947.00	0.00	0.00	**556990.00**
NOVEMBER	239.00	82200.00	0.00	549314.00	93010.00	0.00	0.00	**724763.00**
DECEMBER	50.00		364.00	326437.00	305149.00	0.00	0.00	**632000.00**
JANUARY	0.00	58200.00	0.00	414817.00	0.00	0.00	0.00	**473017.00**
FEBRUARY	50.00	19400.0	0.00	200813.00	15608.00	0.00	0.00	**235871.00**
MARCH	200.00		2153.52	414742.00	375101.00	12.00	0.00	**792208.52**
TOTAL	**249849.90**	**267000.00**	**6314.52**	**4529436.00**	**1294074.00**	**27013.00**	**728985.00**	**7102672.42**

Expenditure Statement of GP Prahnavi for the Year 2022-2023

Month	OWN SOURCE	3rd State	14th FC	MGREGA	15TH FC	SBM	IWMP	TOTAL
APRIL	0.00		69000.00	183842.00	112462.00	0.00	236058.00	**601362.00**
MAY	**0.00**		**0.00**	**1347295.00**	**179021.00**	**0.00**	**5700.00**	**1532016.00**
JUNE	16222.00	27000.00	0.00	62847.00	73571.00	27000.00	0.00	**206640.00**
JULY	375.00	96080.00	0.00	88395.00	119596.00	0.00	0.00	**304446.00**
AUGUST	13532.00		0.00	365081.00	70350.00	0.00	684037.90	**1133000.90**
SEPTEMBER	910.00		98668.00	260008.00	0.00	186.00	0.00	**359772.00**
OCTOBER	0.00		108452.98	315845.00	0.00	0.00	0.00	**424297.98**
NOVEMBER	2030.00	19500.00	45493.30	549314.00	0.00	0.00	0.00	**616337.30**
DECEMBER	1925.00	71500.00		326437.00	154923.00	0.00	0.00	**554785.00**
JANUARY	139311.90		0.00	414817.00	0.00	0.00	0.00	**554128.90**
FEBRUARY	0.00		0.00	200813.00		0.00	0.00	**200813.00**
MARCH	63842.00		0.00	414742.00	364797.00	0.00	0.00	**843381.00**
TOTAL	**238147.90**	**214080.00**	**321614.28**	**4529436.00**	**1074720.00**	**27186.00**	**925795.90**	**7330980.08**

24

सचिव
ग्राम पंचायत प्राहनवी
विकास खण्ड चम्बा
तह० व जिला चम्बा (हि०प्र०)

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दभित

Financial Position Grants in Aids of GP Prahnavhi for the Year to 2021-2022 To 2022-23

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2021-22	0	3173940	3173940	3173940	0
		2022-23	0	4529436	4529436	4529436	0
2	15TH FC	2021-22	471808	1154480	1626288	339992	1286296
		2022-23	1286296	1294074	2580370	1074720	1505650
3	14TH FC	2021-22	744969.98	15725	760694.98	442972	317722.98
		2022-23	317722.98	6314.52	324037.5	321614.28	2423.22
4	SBM	2021-22	0	26173	26173	26000	173
		2022-23	173	27013	27186	27186	0
5	IWMP	2021-22	64567.6	2801230.00	2865797.6	2636896	228901.6
		2022-23	228901.6	728985	957886.6	925795.9	32090.7

सचिव
ग्राम पंचायत प्राहनवी
विकास खण्ड नग्गर
तह० व जिला मण्डी (हि०प्र०)

25

परिशिष्ट – "3"

ग्राम पंचायत प्राहनवीं, विकास खण्ड चंबा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना (पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित)

Sr.No. Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.SF	07/ 29-08-22	Stationery	-	M/S Nagender Singh , Hardaspura, Chamba	1732	**Quotations**
2. IWMP	76 & 77/ 15-02-22	GI Crate with wire	78@1593	M/S Sanjhi Ram & Sons Parel, Chamba	124254	**Tender**
3. IWMP	74/ 15-02-22	Shuttering	90sqm @203	M/S Kamal Rathore VPO Koti, Chamba	18270	**Quotations**
4. IWMP	17 & 18/ 10-08-22	Shuttering & Carrige	99sqm@195.7 5 trip@2000	M/S Kamal Rathore VPO Koti, Chamba	29375	**Quotations**
				Total	**173631**	

परिशिष्ट "4" पैरा संख्या 2.2 में संदर्भित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP PRAHNAVI FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "M" FORM & NEITHER ROYALITY DEDUCTED & PROBABALE EXTRA PAYMENT OF GST

01-04-2021 TO 31-03-2023

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	EXCESS PAID GST
1	M/S Kamal Rathor	IWMP	71 to 75	Stone	123.77	277.24	177857	60	16634.69	169387.62	8469.38
	VPO Koti, Chamba		02-11-2022					60	0	0.00	0.00
2	M/S Kamal Rathor	IWMP	11 to 20	Stone	46	103.04	68473	60	6182.4	65212.38	3260.62
	VPO Koti, Chamba		10-08-2022	Sand	110	176	119900	60	10560	114190.48	5709.52
				Aggre.	82	159.08	119720	60	9544.8	114019.05	5700.95
3	M/S Kamal Rathor	14TH FC	02 to 04	Aggre.	24	46.56	33888	60	2793.6	32274.29	1613.71
	VPO Koti, Chamba		19-05-2021	Sand	12	19.2	12720	60	1152	12114.29	605.71
				Stone	51	114.24	45900	60	6854.4	43714.29	2185.71
4	M/S Kamal Rathor	14TH FC	04 to 06	Sand	12.69	20.30	13832	80	1624.32	13173.33	658.67
	VPO Koti, Chamba		17-09-2022	Aggre.	25.37	49.22	35836	80	3937.42	34129.52	1706.48
				Stone	34.15	76.50	49000	80	6119.68	46666.67	2333.33
5	M/S Kamal Rathor	14TH FC	12,	Sand	1.5	2.4	1635	80	192.00	1557.14	77.86
	VPO Koti, Chamba		20-03-2023	Stone	8	17.92	11496	80	1433.60	10948.57	547.43
6	M/S Kamal Rathor	MGREGA	162 to 169	Stone	84	188.16	115642	60	11289.60	110135.24	5506.76
	VPO Koti, Chamba		17-11-2021	Sand	88.12	140.99	87196	60	8459.52	83043.81	4152.19
7	M/S Kamal Rathor	MGREGA	33 TO 37	Stone	129.18	289.36	143626	60	17361.79	136786.67	6839.33
	VPO Koti, Chamba		06-07-2021					60	0.00	0.00	0.00
8	M/S Kamal Rathor	MGREGA	68 TO 72	Sand	39	62.40	40373	80	4992.00	38450.48	1922.52
	VPO Koti, Chamba		23-08-2022	Stone	130.76	292.90	178760	80	23432.19	170247.62	8512.38
				Total			**1255854**		**104140**	**987353.33**	**49367.67**

If Supplier is not mining lease holder than 25% penality on Amount after April ,2022

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. **B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne**
   One Cubic Meter (M^3) Sand **1.6**
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate Mi: **1.94**
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate **1.46**
   One Cubic Meter (M^3) Stone **2.24**
4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or